

फर्द अहकाम

रामसिंह बनाम सोनी देवी वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या .....157.../2025 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

जीसीएमएस संख्या: 2025/431

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30.10.2025	<p>प्रार्थी की ओर से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री धर्मपाल यादव व राजेन्द्र कुलदीप के द्वारा मूल वाद दावा बाबत घोषणात्मक, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के साथ पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी होकर पत्रावली दिनांक 24.11.2025 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>	
	24.11.25	<p>वकुलाये फरिदोंन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक..19.12.25..को पेश होगी</p>	
	19/12/25	<p>पत्रावली पेश/ जर्नल की ओर से कोई उपस्थित नहीं। न्यायालय समय है डोकान बंद- बंद आवाज लगाने के बाद भी जर्नल की प्रार्थना कीमत से कोई उपस्थित नहीं माने के कारण जर्नल का ज० पत्र न०. अक हाजरी एवं अक फरकीमें खालि बिपायाता ही पत्रावली केसल शुमार हैवट दर्ज कम्पले से कम है वाट राफिल जम्ह है</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>	